SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

The 2nd January, 1984

No. 406-SW(I)-84.—In partial modification of Haryana Government, Social Welfare Department Notification No. 3727-SW(I)-83, dated the 23th September, 1983, the Governor of Haryana is pleased to make the following amendment in the rules "Financial Assistance to dependents of persons killed, permanently incapacitated or grievously injured in an accident", rules, 1983, with immediate effect :—

1. Para 10. Head of Account may be substituted as under :—

"283—Social Security and Welfare—D—Social Welfare—VIII—Other Expenditure (iv)—Financial Assistance to poor, Destitute Handicapped, Dependents of deceased or injured in Accidents, Non-Plan".

2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed,—*vide* their U.O. No. 26-3FGII-84, dated 2nd February, 1984.

M. G. DEVASAHAYAM.

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Social Welfare Department.

आदेश

श्रम विभाग

दिनांक 15 फरवरी, 1984

सं. ओ.वि./एफ.डी./324-83/6503.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै० विनति इन्टरप्राईसिस 1डी/23, एन. आई. टी., फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कंवर बहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री कंवर बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./324-83/6510.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै. विनति इन्टरप्राईसिस, 1डी/23, एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरभजन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री हरभजन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?